सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 123/2018

1 महेश कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र विशम्भरलाल।
2 प्रमोद आयु 48 वर्ष पुत्र विशम्भरलाल।
3 श्रीमती सन्तरा देवी स्त्री विशम्भरलाल।
4 मुरारीलाल पुत्र ओमप्रकाश समस्त जाति महाजन निवासीगण राणी सती रोड़ चुणा चौक झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी गोरेगांव मुम्बई।

अपीलांट

बनाम

1 अन्जनी पुत्र नथमल।
2 गायत्री स्त्री नथमल।
3 सरोज पुत्री नथमल समस्त जाति महाजन निवासी चुणा चौक राणी सती रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4 गोरीशंकर पुत्र किशनलाल।
5 पवन पुत्र किशनलाल।
6 कैलाश पुत्र किशनलाल समस्त जाति महाजन निवासी चुणा चौक राणी सती रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी रूप विहार कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर।
7 बनवारीलाल पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति महाजन निवासी राणी सती रोड़ झुंझुनू हाल निवासी गोरेगांव मलुंड लिंक रोड़ गोरेगांव मुम्बई।
8 श्रवणी देवी स्त्री नन्दलाल।
9 प्रदीप पुत्र नन्दलाल।
10 अनिल पुत्र नन्दलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 मीना पुत्री नन्दलाल।
12 सरला देवी स्त्री बजरंगलाल।
13 संजय पुत्र बजरंगलाल।
14 अजय पुत्र बजरंगलाल।
15 शिल्पा पुत्री बजरंगलाल।
16 प्रेमलता पुत्री मदनलाल।
17 रेणु पुत्री विशम्भरलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण चुणा चौक झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
18 अरूण पुत्र ओमप्रकाश।
19 विनोद पुत्र ओमप्रकाश।
20 पूनम पुत्री ओमप्रकाश।
21 सुनिता पुत्री ओमप्रकाश।
22 ममता पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति महाजन निवासीगण चूणा चौक झुंझुनू हाल जे.बी. नगर अन्धेरी ईस्ट मुम्बई।
23 केशरी पुत्री बनारसी लाल।
24 विमला पुत्री बनारसी लाल।
25 सन्तोष पुत्री बनारसी लाल।
26 अल्का पुत्री सत्यभामा।
27 उमा पुत्री सत्यभामा।
28 अरूण पुत्र सत्यभामा।
29 अशोक पुत्र रामदुलारी।
30 चन्दा पुत्री रामदुलारी।
31 आशा पुत्री रामदुलारी।
32 तारा देवी पुत्री ज्वालाप्रसाद।
33 मनी देवी पुत्री ज्वालाप्रसाद।
34 शकुन्तला पुत्री किशनलाल।
35 पुष्पा पुत्री किशनलाल।

भूमि प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

36 सुमित्रा पुत्री किशनलाल जाति समस्त निवासीगण राणी सती रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
37 नगरपालिका झुंझुनू जरिये आयुक्त।
38 उप पंजीयक झुंझुनू।
39 तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 02.05.1979 बअदालत सहायक जिलाधीश झुंझुनू मुकदमा उनवानी मुरलीधर बनाम मदनलाल मुकदमा नम्बर 112/रेवेनयू/1977 दावा बाबत इस्त करारहक पीठासीन अधिकारी श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा सहायक जिलाधीश झुंझुनू

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 112/1977 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.1979 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 02.05.1979 को पारित किया गया था। इस आदेश के विरूद्व दिनांक 18.07.2015 को अपील धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। चूकि अपील 36 साल बाद प्रस्तुत की गई अत उभयपक्ष को धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां कस्बा झुंझुनू में अवस्थित है जानकीदास व सुरजमल भाई थे सुरजमल के रामदीन व मदनलाल हुये मदनलाल के बजरंगलाल हुआ बजरंगलाल के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 12 से 16 है। रामदीन के ओमप्रकाश विशम्भर व बजरंग हुये, बजरंग मदनलाल के गोद चला गया। विश्म्भर के वारिसान अपीलांट संख्य 1 से 3 एवं रेस्पोडेंट 18 है। विवादित भूमि ठिकाना पंचपाना की थी सुरजमल को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी मिली। हम सुरजमल के वारिसान है जमाबन्दी संवत 2012 में खातेदार सुरजमल है नामान्तकरण संख्या 621 दिनांक 14.03.1963 द्वारा खातेदारी रामदीन, मदनलाल के वारिसान के नाम आई, नामान्तकरण संख्या 1906 जरिये डिक्री भरा गया। विचाराधीन वाद में विचारण न्यायालय ने वंशावली में सुरजमल के एक मात्र पुत्र मदनलाल बताया है। जबकि रामदीन भी था जो दावे एवं डिक्री के समय जीवित था। इस प्रकार रामदीन का हक हिस्सा खुर्द बुर्द करते हुये गलत रूप से डिक्री किया गया है। रामदीन की मृत्यु सन् 1990 में हुई है जबकि दावा सन् 1979 में डिक्री हुआ है। अपीलांट रामदीन के वारिसान है। डिक्री की पालना में नामान्तकरण के बाद जमाबन्दियों में अमल नही हुआ। अत दिनांक 20.04.2018 को धारा 136 के आवेदन पर पक्षकारों को सुने बिना दिनांक 09.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय के विरूद्व सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील लम्बित है। विचाराधीन निर्णय की जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। धारा 5 के आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है मियाद के बिन्दु पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गुणावगुण पर प्रकरण हमारे पक्ष में होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन किये जाने योग्य है। तननीकी आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट ने रिबटल में शपथ पत्र नही दिया है। धारा 5 के जवाब में रेस्पोडेंट ने कथन किया है कि हमे इस निर्णय के प्रारम्भ से जानकारी थी एवं 90बी की कार्यवाही के दौरान जारी विज्ञप्ति से जानकारी होने का कथन करके आये है। जबकि विज्ञप्ति में वल्दियत गलत अंकित है एवं विज्ञप्ति के दिन रामदीन मर चुका था। अत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शूमार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.जे (सिविल) एस.सी. 2019 पेज 416, ए.आई.आर. 2015 (एस.सी.) पेज 2675, डी.एन.जे. 2015 (एस.सी.) पेज 592, डी.एन.जे. 2014 (3) राज. पेज 1136, डी.एन.जे. 2016(4) राज. पेज 1680 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.1979 को पारित करना स्वीकृत तथ्य है। इस निर्णय के विरूद्व लगभग 36 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है। इतने लम्बे समय बाद दिन प्रतिदिन की देरी का अंकन किये बिना केवल मात्र जानकारी से अन्दर मियाद होने का कथन कर अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में धारा 90बी की कार्यवाही की गई। जिसके लिये अखबारों में विज्ञप्ति जारी की गई। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त यह अवधारणा ली जाती है कि सम्बंधित पक्षकार ने इसे भलीभांती पढ़ा है। अपीलांट्स ने इस विज्ञप्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की है। इस तिथि से भी अपीलांट की अपील मियाद बाहर है इसका कोई विधि सम्मत कारण अपीलांट ने दायर नही किया है। 36 साल की देरी कन्डोन की जाने योग्य नही है क्योंकि सन्तोषप्रद कारण नही बताया गया है। धारा 136 की कार्यवाही की इनको जानकारी थी यह रिकार्ड से साबित है। ऐसी स्थिति में अपील प्रत्येक बिन्दु से मियाद बाहर होना अपितु अत्यधिक

विलम्ब से होना प्रमाणित है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 851, आर.आर.टी. 2018–19 पेज 118, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 202 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.1979 को पारित करना स्वीकृत तथ्य है। इस निर्णय के विरूद्व लगभग 36 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है। इतने लम्बे समय बाद दिन प्रतिदिन की देरी का अंकन किये बिना केवल मात्र जानकारी से अन्दर मियाद होने का कथन कर अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में धारा 90बी की कार्यवाही की गई। जिसके लिये अखबारों में विज्ञप्ति जारी की गई। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त यह अवधारणा ली जाती है कि सम्बंधित पक्षकार ने इसे भलीभांती पढ़ा है। अपीलांट्स ने इस विज्ञप्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की है। इस तिथि से भी अपीलांट की अपील मियाद बाहर है इसका कोई विधि सम्मत कारण अपीलांट ने दायर नही किया है। 36 साल की देरी कन्डोन की जाने योग्य नही है क्योंकि सन्तोषप्रद कारण नही बताया गया है। धारा 136 की कार्यवाही की इनको जानकारी थी यह रिकार्ड से साबित है। ऐसी स्थिति में अपील प्रत्येक बिन्दु से मियाद बाहर होना अपितु अत्यधिक विलम्ब से होना प्रमाणित है।

विवादित भूमि के सन्दर्भ में धारा 90ख की कार्यवाही की गई थी जिसमें अखबार में साया किया गया था तथा पक्षकारों को नोटिस दिये गये थे नोटिस देने के पश्चात 90ख की कार्यवाही की गई थी जो 22.12.2000 को की गई थी उक्त निर्णय दिनांक 01.01.2002 का है तथा जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 3017 तस्दीक हुआ उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदकगण को रही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प कुचामन)

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 851 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि'' Delay cannot be condoned if not explained satisfactorily. इसी प्रकार आर. आर.टी. 2018–19 (Supp) पेज 118 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि'' Delay cannot be condoned in absence of the reasonable, sufficient and proper reasons.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में दिन प्रतिदिन की देरी का सन्तोषप्रद कारण नही दिये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 36 साल की अत्यधिक देरी से प्रस्तुत होने के कारण धारा 5 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर